न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 62 / 2018

अनवान : –

1. रघुवीर सिंह पुत्र गोपालसिंह कोम राजपूत निवासी गोगामेड़ी हाल लिला की ढाणी वाया टिटनवाड़ा तहसील उदयपुर वाटी जिला झुन्झनु।
2. नरवीरसिंह पुत्र गोपालसिंह कोम राजपूत निवासी गोगामेड़ी हाल लिला की ढाणी वाया टिटनवाड़ा तहसील उदयपुर वाटी जिला झुन्झनु।

– सायलान

बनाम्

1. मगन कंवर पत्नी बजरंगसिंह कौम राजपूत मु0पो कुकनावाली तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
2. बदन कंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी मु0पो0 कुचामन सिटी वार्ड स0 19 तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
3. उच्छव कंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत मु0पो0 दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर– फौत

3/1. विन्द्रसिंह पुत्र उच्छव कंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत मु0पो0 दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

3/2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र उच्छव कंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत मु0पो0 दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

3/3. अरविन्द कंवर पुत्री पुत्र उच्छव कंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत मु0पो0 दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल स0 2**

निर्णय दिनांकः 17/06/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 डीपीएन तहसील नोहर के प0न0 408/450(54) के किला न0 1 ता 25 की 6.0720 हैक्ट भूमि सायलान के पिता गोपालसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि थी जो अब राजस्व रिकार्ड में सायलान व गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम दर्ज [illegible]

उक्त भूमि को गोपालसिंह के जीवनकाल से ही सायलान काश्त करते आ रहे है। गोपालसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज [illegible] गैरसायल स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 3 के नाम उक्त भूमि गलत दर्ज हुई है। गैरसायल स0 1 ता 3 अपने अपने ससुराल में जाकर आबाद हो चुकी है गैरसायलान ने उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेने बाबत कहा था इसलिए गैरसायलान का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायलान ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान के मन में अब लालच आ गया है एवं गैरसायलान उक्त भूमि को रहन बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम विरासतन दर्ज हुई है। गैरसायला अपने कब्जा काश्त की भूमि को स्वयं काश्त करती है। गैरसायला ने अपने हक हिस्सा का परित्याग सायलान के पक्ष में कभी नही किया। सायला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सायला को तंग व परेशान करने के लिए झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि को गोपालसिंह के जीवनकाल से ही सायलान काश्त करते आ रहे है। गोपालसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम उक्त भूमि गलत दर्ज हुई है। गैरसायल स0 1 ता 3 अपने अपने ससुराल में जाकर आबाद हो चुकी है गैरसायलान ने उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेने बाबत कहा था इसलिए गैरसायलान का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायलान ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान के मन में अब लालच आ गया है एवं गैरसायलान उक्त भूमि को रहन बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम विरासतन दर्ज हुई है। गैरसायला अपने कब्जा काश्त की भूमि को स्वयं काश्त करती है। गैरसायला ने अपने हक हिस्सा का परित्याग सायलान के पक्ष में कभी नही किया। सायला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सायला को तंग व परेशान करने के लिए झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होतीं है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थीगण ने अपना हक हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में तर्क कर दिया लेकिन अप्रार्थी का कथन है कि हमने प्रार्थीगण के पक्ष में अपना हक हिस्सा तर्क नही किया है अपना जो भी हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हम लेना चाहती है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अपना हक हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में त्याग किया गया हो केवल मौखिक कथन किया गया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 06.06.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested